2024/48 CMS

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

मोहरसिंह बनाम बंशीलाल आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 48 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.03.2024	प्रार्थी की तरफ से वकील श्री सुरेन्द्रकुमार राठौड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 29.04.2024 को पेश हो।	
29.04.2024	कुलाए प्रसकन उपस्थित/PU माहब अर्ज कर्ता मौजूद है। पत्रावली प्रार्थी वकील गैर हाजिर, अप्रार्थी तरफ से कोई हाजिर नहीं उपस्थित गैर हाजिर दिनांक 27.6.2024 को पेश हो	
27.06.2024	कुलाए प्रसकन उपस्थित/PU माहब अर्ज कर्ता मौजूद है। पत्रावली मुकर्रर। गैर हाजिर दिनांक 04.9.2024 को पेश हो	
4.9.2024	कुलाए प्रसकन उपस्थित/PU माहब अर्ज कर्ता मौजूद है। पत्रावली मुकर्रर। गैर हाजिर दिनांक 8.11.2024 को पेश हो	
8.11.2024	कुलाए प्रसकन उपस्थित/PU माहब अर्ज कर्ता मौजूद है। पत्रावली मुकर्रर। गैर हाजिर दिनांक 8.01.2025 को पेश हो	
8.1.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगाकर कोर्ट की हाजिर नहीं। प्रार्थी [illegible] पैरवी व अदम हाजरी में [illegible] पत्रावली नम्बर से कम [illegible] वकील जाबता दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.21 18:35:58 IST
Reason: SelfAttested